न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
04/2025	**FSS ACT**	15.01.2025	28.01.2025

1. श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

—आवेदक

बनाम

1. श्रीनिवास त्यागी पुत्र श्री रामस्नेही त्यागी मैसर्स – कृष्णा फूड प्रोडक्टस, जी–78 रीको एण्ड एरिया धौलपुर निवासी सुरक्षा बिहार कॉलोनी, औंडेला रोड धौलपुर

—अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51 ,एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 28.01.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 23.03.2024 को दोपहर 02:00 बजे मैसर्सः– कृष्णा फूड प्रोडक्टस, जी–78 रीको एण्ड एरिया धौलपुर पर पहुंचा मौजूद विक्रेता को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे तो उसने अपना नाम श्रीनिवास त्यागी पुत्र श्री रामस्नेही त्यागी मैसर्स – कृष्णा फूड प्रोडक्टस, जी–78 रीको एण्ड एरिया धौलपुर निवासी सुरक्षा बिहार कॉलोनी, औंडेला रोड धौलपुर बताया एवं लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन दिखाने हेतु कहा तो उन्होने खाद्य सुरक्षा अनुज्ञा पत्र मौके पर दिखाया। निरीक्षण के दौरान लगभग 320 किलो सूजी कटटों में रखी हुई थी जो कि खाद्य पदार्थ बनाने में इस्तेमाल के लिये रखी हुई थी। उक्त में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त सूजी का नमूना वास्ते जांच देने हेतु कहा और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5(ए) के देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहन के हस्ताक्षर कराकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त 320 किलो सूजी में से 2 किलोग्राम सूजी वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 64/– (चौंसठ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलो सूजी को विकेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा सूजी को प्रत्येग बोतल मे बराबर–बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतलों के ढक्कन लगाकर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

एकदम ऐयरटाईट बंद किये गये तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी 3132 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, फार्मलिन की मात्रा आदि दर्ज कर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी 3132 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह ऊपर, नीचे, दाये, बांये, सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ़कर सुनाकर, समझाकर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 vi की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 vi की एक प्रति के एक खाकी कागज मे लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयक आवेदन के साथ संलग्न है। फार्म संख्या vi की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या vi की पुस्त पर अंकित है। सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म संख्या vi की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष चौथे भाग एवं फार्म संख्या vi की एक प्रति एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/104 दिनांक 12.04.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के द्वारा नमूना असुरक्षित (Unsafe) प्रकृति का पाया गया तत्पश्चात खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा रैफरल प्रयोगशाला से पुनः जांच बावत आवेदक के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर नमूने का द्वितीय भाग पुनः जांच बावत रैफरल प्रयोगशाला मैसूर भिजवाया गया जहां से प्राप्त पत्र सर्टिफिकेट संख्या 651एफ/एफएसएसए/2024 दिनांक 18.07.2024 के द्वारा अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) पाया गया जा कि आवेदन के साथ संलग्न है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ सूजी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्त स्वयं उपस्थित। अभियुक्त ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अभियुक्त ने अपने जबाव में निवेदन किया है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी के विरूद्ध सूजी के सैंपल का प्रकरण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011 श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। उक्त सैंपल एफ0एस0एल0 की जांच रिपोर्ट के अनुसार सबस्टेण्डर्ड का होना पाया है। अप्रार्थी ने जानबूझकर अपने स्तर पर उक्त खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट नहीं की है। फिर भी अप्रार्थी प्रकरण में अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करता है। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अप्रार्थी जुर्माना जमा कराने को तैयार है। अतः प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें।

हमने पैरोकार सरकार व अभियुक्त को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली मे संलग्न **PUBLIC HEALTH LABORATORY BHARATPUR (RAJ)** की **REPORT NO.L.S./275/Act/2024/299 DATE 03-04-2024** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार हैः—

"Opinion- The sample of **'Suji'** bearing code & serial No. **D-3132** of Designated Officer Cum Chief Medical & Health Officer, Dholpur is **Unsafe food under section 3(1)(zz)(ix) and 3(1)(zz)(xi)** of food Safety and Standards Act, 2006 due to presence of many live insects.

एवं पत्रावली में संलग्न **Certificate of analysis by the Referral Food Laboratory, Mysore** का Certificate No: **651F/FSSA/2024** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार हैः—

Opinion: And I am the opinion that the sample **"Substandard"** as defined under Section 3(1)(zx) of Food Safety and Standards Act, 2006 as it **does not conform** to the standards laid down for **Suji** under the provisions of Food Safety and Standards (Food Product standards and Food Additives) Regulations, 2011 thereof, in that:

a) **Total ash content exceeds the maximum permissible limit.**

अप्रार्थी द्वारा सबस्टैडर्ड सूजी का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैडर्ड सूजी बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अतः अप्रार्थी श्रीनिवास त्यागी पुत्र श्री रामस्नेही त्यागी मैसर्स – कृष्णा फूड प्रोडक्टस, जी–78 रीको एण्ड एरिया धौलपुर निवासी सुरक्षा बिहार कॉलोनी, औंडेला रोड धौलपुर के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 65000/–रुपये (पेंसठ हजार रू0) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
28.01.26
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)